



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082020-221423
CG-DL-E-28082020-221423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942

No. 214]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

एडी-एसएसआर-12/2020

विषय : यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गण., मलेशिया, ताइवान तथा संयुक्त राज्य अमरीका से 2- एथाइल हेक्सानोल के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत ।

फा. सं. 7/28/2020-डीजीटीआर.—1. मै. आंध्रा पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गण., मलेशिया, ताइवान तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2- एथाइल हेक्सानोल (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उन्होंने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच दिनांक 20 नवंबर, 2014 की अधिसूचना सं. 14/24/2014-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 18 फरवरी, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/24/2014-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देशों से 2-इथाइल हेक्सानोल के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 10/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। उक्त शुल्क 28 मार्च, 2021 को समाप्त होने की जानकारी दी गई है।

संबद्ध देश

4. चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए संबद्ध देशों का दायरा मूल जांच में संबद्ध देशों अर्थात् यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गण., मलेशिया, ताइवान तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के विरुद्ध तक सीमित है।

विचाराधीन उत्पाद

5. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 2-इथाइल हेक्सानोल है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच में इस उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

‘5. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद “2-इथाइल हेक्सानोल” है। 2-इथाइल हेक्सानोल (जिसका संक्षिप्त रूप “2-ईएच”) एक मूल कार्बनिक रसायन है। यह एक फैटी एल्कोहल, स्पष्ट, सचल, निष्क्रिय द्रव है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है। 2 ईएच का उत्पादन अनेक अनुप्रयोगों में प्रयोग हेतु बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे विलायक, फ्लेवर और सुगंध तथा अन्य रसायनों जैसे इमोलिफेंट और प्लास्टीसाइजर के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रिकर्सर के रूप में। 2-इथाइल हेक्सानोल का मुख्य अनुप्रयोग कम वोलेटिलिटी के एस्टर के विनिर्माण में फीड स्टॉक के रूप में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण रूप डाई- (2 इथाइल हेक्साइल) थैलेट (डीओपी या डीईएचपी) होता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 29051620 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मै. आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने दावा किया है कि वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग या उसकी ओर से किया गया है।

पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आधार**क. सामान्य मूल्य**

8. संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य को उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय को विधिवत समायोजित करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर माना गया है।

ख निर्यात कीमत

9. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, और हैंडलिंग शुल्क, हेतु समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पीयूसी का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार, निरंतर पाटन की संभावना का पता चलता है जो जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और मात्रात्मक प्रभाव अर्थात् आयात में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्से में गिरावट तथा कीमत में कमी के कारण कीमत प्रभाव, जिससे लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट हुई, के कारण घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। इसके अलावा, आवेदक द्वारा लागू शुल्क के बावजूद आयातों में वृद्धि, तीसरे देश से पाटन भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता अन्य देशों को क्षतिकारी निर्यात संबद्ध देशों में उत्पादकों का निर्यातोन्मुख होना, क्षमता विस्तार और संबद्ध देशों से आयातों का भारत में मांग में अत्यधिक हिस्सा के बारे में प्रदत्त आंकड़े भी प्रथम दृष्टया पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन तथा परिणामी क्षति की संभावना को प्रथमदृष्टया दर्शाते हैं।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

12. आवेदक के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा पाटन तथा क्षति के जारी रहने/ उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जांच में जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की है और क्षति अवधि में अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 -मार्च, 2018, अप्रैल - 2018 -मार्च, 2019 और जांच की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

14. इस समीक्षा में दिनांक 18 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 14/24/2014-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों जिनमें यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, कोरिया गण., मलेशिया, ताइवान तथा संयुक्त राज्य अमरीका से 2-इथाइल हैक्सानोल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का यथाअपेक्षित विश्लेषण भी करेंगे।
15. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

16. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उक्त पैरा 16 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg_11-dgtr@gov.in तथा dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को लिखित में भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखने की विधि पर काम किया जा रहा है।

असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक (रक्षोपाय)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2020

Case No. AD-SSR-12/2020

Subject : Initiation of sunset review investigation concerning imports of 2-Ethyl Hexanol from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America

F. No. 7/28/2020-DGTR.—1. M/s The Andhra Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules) for sunset review of anti-dumping investigation concerning the imports of 2-Ethyl Hexanol (hereinafter referred as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Background

3. The original investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority *vide* Notification No. 14/24/2014-DGAD dated 20th November 2014. The Authority notified final findings *vide* Notification No. 14/24/2014-DGAD dated 18th February 2016 recommending definitive antidumping duty on the imports of 2-Ethyl Hexanol from the subject countries. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods *vide* Notification No. 10/2016-Customs (ADD) dated 29th March 2016. The said duties are said to expire on 28th March 2021.

Subject Countries

4. The investigation being a sunset review, the scope of the subject countries is confined to the subject countries in the original investigation i.e. against the subject goods originating in or exported from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America.

Product under consideration

5. The product under consideration as in the original investigation is 2 - Ethyl Hexanol. As per the original investigation carried out by the Designated Authority the product has been defined as under:

“5. The product under consideration in this investigation is “2-Ethyl Hexanol”. 2-Ethyl Hexanol (abbreviated as ‘2-EH’) is a basic organic chemical. It is a fatty alcohol, clear, mobile, neutral liquid with a characteristic odour. 2-EH is produced on a massive scale for use in numerous applications such as solvents, flavours, and fragrances and especially as a precursor for production of other chemicals such as emollients and plasticizers. Main application of 2-Ethyl Hexanol is as a feed stock in the manufacture of low volatility esters; the most important of it is Di-(2Ethyl hexyl) Phthalate (DOP or DEHP). The product under consideration is classified under Customs Tariff Heading No. 29051620. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

Like Article

6. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic industry and standing

7. The application has been filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited. The applicant has claimed to be the sole producer of the product under consideration in India. The applicant has claimed that it is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or any importer of the product under consideration in India. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made ‘by or on behalf of the domestic industry’ in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.

Basis of likelihood of continuation or recurrence of dumping.**a. Normal Value**

8. The normal value for the subject countries has been considered based on estimates of cost of production of subject goods as per best available information after duly adjusting selling, general & administrative expense with reasonable profit.

b. Export price

9. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission and handling charges.

c. Dumping margin

10. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries, thus indicating likelihood of continued dumping so as to justify initiation of investigation.

Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

11. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of volume effect i.e. increase in imports, decline in production, capacity utilization, sales and market share and price effect due to price depression leading to

reduction in profits, cash profits and return on capital employed. Further, the data provided by the applicant on the increased imports inspite of duties imposed, third countries dumping, price attractiveness of the Indian market, injurious exports to other countries, export orientation of the producers in the subject countries, capacity expansion and significant share in demand in India of the imports from the subject countries also prima facie indicate a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the anti-dumping duty.

Initiation of Sunset Review Investigation

12. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

13. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2019 to March 2020 and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the period of investigation.

Procedure

14. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/24/2014-DGAD dated 18th February 2016, recommending imposition of anti- dumping duty on imports of 2-Ethyl Hexanol from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.
15. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

16. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
17. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below
18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 16 above.
19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the email address adg11-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of Information on Confidential Basis

22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

30. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-Cooperation

31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. & Director General (Safeguards)